न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा **RAS**)

प्रकरण संख्या :– 58/2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2025/203

1. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
2. रामधन पुत्र जगन्नाथ
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. घासीलाल पुत्र प्रभाती
3. रामरतन पुत्र प्रभाती
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र हरचन्दा
5. रामफूल पुत्र हरचन्दा
6. सुलतान पुत्र हरचन्दा
   समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगण:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री पवन कुमार शर्मा, एड0—प्रार्थीगण।

दिनांक 19/09/2025

—:निर्णय:—

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 49 खसरा नम्बर 21/1 रकबा 2.6302 है0, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 1.0242 है0 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 21/1 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 35 एवं खसरा नम्बर 21/2 की दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 वाके ग्राम श्रीनगर स्थित है। प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त एवं स्वामित्व की उक्त आराजी कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 व उनके विधिक वारिसान आये दिन अतिक्रमण करने का प्रयास कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल अंदाजी कर लडाई विवाद उत्पन्न करते रहते है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 20.06.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 49 खसरा नम्बर 21/1 रकबा 2.6302 है0, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 1.0242 है0 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर की दिनांक 20.06.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भू.अ./2025/2442 दिनांक 02.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो शामिल मिशल है।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 20.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 49 खसरा नम्बर 21/1 रकबा 2.6302 है0, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 1.0242 है0 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेंश की।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 49 खसरा नम्बर 21/1 रकबा 2.6302 है0, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 1.0242 है0 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 20.06.2023 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 02.07.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 20.06.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या नया 49 खसरा नम्बर 21/1 रकबा 2.6302 है0, खसरा नम्बर 21/2 रकबा 1.0242 है0 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2023 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (राज.)